



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 559 राँची, गुरुवार, 24 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

29 सितम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-913/2014-17478(HRMS)--श्री ललन कुमार, झांप्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, देवघर के विरुद्ध उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1558, दिनांक 19.09.2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप तथा पत्रांक-1767, दिनांक 07.10.2010 द्वारा अतिरिक्त आरोप प्रतिवेदित है ।

इन आरोपों के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध समेकित रूप से आरोप प्रपत्र- 'क' का गठन करते हुए विभागीय संकल्प सं०-6804, दिनांक 03.11.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। इसके अनुसार इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों का सार निम्नवत् है:-

1. श्री ललन कुमार, प्रखण्ड मुख्यालय, मोहनपुर में आवासन नहीं करते हैं। विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात जिला स्तरीय पदाधिकारी से उनके मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहने की जाँच कराई गई तथा पाया गया कि वे कभी भी प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं रहते हैं ।

2. संयुक्त जिला आदेश जापांक-314/गो०, दिनांक 23.02.2010 द्वारा श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति होली 2010 के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु की गई थी। खैरियत प्रतिवेदन हेतु जब उन्हें उपायुक्त द्वारा बुलाया गया तो ज्ञात हुआ कि वे मुख्यालय में नहीं हैं। संबंधित थाना से सत्यापन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने विधि-व्यवस्था संधारण हेतु योगदान नहीं दिया है।

3.(क) दिनांक 25.07.2009 को जिला स्तर से 183 इन्दिरा आवास की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात भी उप विकास आयुक्त, देवघर के द्वारा दिनांक 21.08.2009 को प्रखण्ड निरीक्षण के समय लाभार्थियों का अभिलेख एवं पंजी संधारण नहीं पाया गया। इसी प्रकार सिद्धु कान्हू आवास योजना अन्तर्गत अप्रैल, 2009 में स्वीकृति 200 इकाईयों में 21.08.2009 तक मात्र 191 अभिलेख खोले गये थे, उसमें भी 13 लाभार्थियों को चेक नहीं दिया गया था।

(ख) प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2009 एवं 04.09.2009 को प्रखण्ड के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड के रोकड़ बही का संधारण दिनांक 17.07.2009 तक ही किया गया। वरीय पदाधिकारी ने यह भी पाया कि वर्ष- 2009-10 में इंदिरा आवास के स्वीकृत 280 इकाईयों में मात्र 151 अभिलेख खोले गये हैं, परन्तु इनमें भी लाभुकों को चेक निर्गत नहीं किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा अन्तर्गत वर्ष-2007-08 में स्वीकृत 2049 योजनाओं के विरुद्ध मात्र 250 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

4. किशनीडीह मोड़ से पहरीडीह ग्राम तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण के उपयोगी होने के बावजूद इसे पूर्ण कराने की दिशा में श्री कुमार द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। ग्राम पहरीडीह में सिंचाई कूप निर्माण (योजना संख्या-46/07-08) की प्राक्कलित राशि अभिलेख के अनुसार ₹०- 60,000/- है, परन्तु कनीय अभियंता के अंतिम मापी प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार ने ₹०- 1,14,677/- का भुगतान किया है।

5. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, देवघर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मोहनपुर प्रखण्ड के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-51/भू०सु०, दिनांक 28.01.2010 के अनुसार दिनांक 11.01.2010 से 16.01.2010 तक की अवधि में मोहनपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत रीढ़या नया चितकाठ, मलहरा, मेदनीडीह, मोरने, तुम्बावेल, बांक एवं झालर का एडवाईस/मस्टर रॉल संधारित नहीं पाया गया।

6. दिनांक 26.02.2010 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, देवघर द्वारा मोहनपुर प्रखण्ड के पंचायत खिजूरिया में कार्यान्वित 10 सिंचाई कूप में निर्माण योजनाओं के निरीक्षण के उपरान्त अपने पत्रांक-106/भू०सु०, दिनांक 26.02.2010 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार इन 10 सिंचाई कूपों का कार्यान्वयन में अनियमितता है। जिसमें से 7 में काम बंद था तो 3 में मनरेगा के दिशा-निर्देशों के विपरीत पाया गया।

7. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, देवघर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मोहनपुर प्रखण्ड के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-111/भू०सु०, दिनांक 04.03.2010 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत तुम्बाबेल के विभिन्न ग्रामों में वर्ष-2007-08 की स्वीकृत सिंचाई कूप एवं बाँध निर्माण की

योजना में अपूर्ण स्थिति में बंद पायी गयी, जिसे पूर्ण करने की दिशा में श्री कुमार द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं किया गया।

8. मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत घोंघा में मनरेगा के तहत कार्यान्वित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण के उपरान्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, जिसके आलोक में पुनः ज्ञापांक-2103/जि०ग्रा०वि०अभि०, दिनांक 15.09.2010 द्वारा दो सदस्यीय जाँच दल का गठन करते हुए संयुक्त रूप से स्थलीय जाँच एवं सत्यापनोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 429/भू०रा०, दिनांक 17.09.2010 के अनुसार श्री कुमार द्वारा योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया है और न ही उन्होंने भुगतान के समय मस्टर रॉल का सत्यापन किया है। इसके लिए उनको निदेशित किये जाने के बावजूद निदेशों की अवहेलना की गयी।

9. मोहनपुर प्रखण्ड के विभिन्न पंचायत यथा- दहीजोर, चकरमा, जमुनिया, बलथर, तुम्बाबेल, घोंघा, बांक, झारखण्डी, कटवन, सुअरदेही, पोस्तवारी, मोरने, घुटिया, बड़ा असहना, सिमरजोर, मेदिनीडीह, हरकट्टा, मिखना, रघुनाथपुर, झालर, बंका बीचगढ़ा, बारा, नया चितकाठ, सरासनी- अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं 2010-11 में कार्यान्वित इन्दिरा आवास योजनाओं की जाँच जिले के वरीय पदाधिकारी एवं सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों से करायी गयी, जिसमें घोर अनियमितता एवं लापरवाही उजागर हुए, जो निम्नवत हैं :-

- (i) सरकारी सेवक के साथ-साथ आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार के सदस्यों को इन्दिरा आवास का लाभुक बनाया गया है।
- (ii) लाभुकों के चयन में स्कोर सिस्टम का अनुपालन नहीं किया गया है।
- (iii) लाभुकों का चयन विचैलिया के मिलीभगत से अवैध राशि वसूलते हुए सरकारी मार्ग निर्देश को दरकिनार कर Pick and Choose के आधार पर किया गया है।
- (iv) लाभुकों के नाम से निर्गत चेक संबंधित पंचायत सेवक को इकट्ठे प्राप्त कराया गया है।
- (v) वित्तीय वर्ष- 2009-10 में निर्माणाधीन कई इकाईयों में राशि का भुगतान बिना सत्यापन के किया गया है। जबकि जाँच दल के द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वहाँ कोई आवास निर्माण नहीं हुआ है। इससे सरकारी राशि का गबन प्रमाणित होता है।
- (vi) विचौलियों एवं पंचायत सेवक की मिलीभगत से अवैध राशि वसूले जाने के कारण वित्तीय वर्ष- 2009-10 की कई योजनाओं में कार्य अधुरा है। अ०जा०/अ०ज०जा० के लाभुकों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया गया है।
- (vii) बिना सत्यापन कराये हुए इन्दिरा आवास के लाभुकों को चयन किया गया और कई इकाई, जिसका निर्माण वित्तीय वर्ष- 2009-10 में हो रहा था, उन्हें पुनः वित्तीय वर्ष- 2010-11 में स्वीकृति दिलायी गयी।

(viii) पूर्व से निर्मित इन्दिरा आवास को नव निर्माण हेतु स्वीकृत इकाई के रूप में दिखाकर सम्पूर्ण राशि का गबन कर लिया गया है ।

(ix) मृत व्यक्तियों के नाम से इन्दिरा आवास की स्वीकृति कराकर राशि गबन का प्रयास किया गया, जबकि लाभुक की मृत्यु 4-5 वर्ष पूर्व हो चुकी है ।

विभागीय पत्रांक-7388, दिनांक 02.12.2010 द्वारा उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात पत्रांक-2754, दिनांक 25.05.2011 एवं पत्रांक-3993, दिनांक 15.07.2011 द्वारा इन्हें स्मारित भी किया गया, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। फलतः विभागीय संकल्प सं०-6804, दिनांक 03.11.2011 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-311, दिनांक 28.09.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध लगाये गये आरोप सं०-4 एवं 6 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा अन्य 07 (सात) आरोपों को प्रमाणित माना गया है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के अधिगम की समीक्षा की गयी। समीक्षा में आरोप सं०-1 एवं 2 के प्रसंग में श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकार करते हुए इसे अप्रमाणित माना गया। शेष सात आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं तथा मनरेगा एवं इन्दिरा आवास के कार्यान्वयन से संबंधित हैं। ये केन्द्र की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का मुख्य दायित्व इन योजनाओं को मार्गदर्शिका के अनुरूप सही और त्वरित गति से संचालित करना है। श्री कुमार इसमें असफल ही नहीं हुए हैं बल्कि उन्होंने इन योजनाओं को अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं अधिक आय का जरिया बना लिया, जो अक्षम्य है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनकी पाँच वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का प्रस्तावित दण्ड के आलोक में इनसे विभागीय पत्रांक-12838, दिनांक 21.11.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। तत्पश्चात पत्रांक-1188, दिनांक 07.02.2013, पत्रांक- 2669, दिनांक 21.03.2013 तथा पत्रांक-3400, दिनांक 20.04.2013 द्वारा श्री कुमार को स्मारित किया गया।

श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्रांक- 07/नि0, दिनांक 29.05.2013 द्वारा समर्पित किया गया है। इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई ऐसा नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया, जिसके आधार पर प्रस्तावित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके। श्री कुमार अपने विरुद्ध प्रमाणित आरोपों को अप्रमाणित करने में असफल रहे हैं ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-9452, दिनांक 25.09.2013 द्वारा इनके विरुद्ध पाँच वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड इनपर अधिरोपित किया गया ।

अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका सं0-W.P.(S) No. 6123/2015 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2020 को न्यायादेश पारित किया है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित तथ्य एवं आरोपवार विभागीय समीक्षा निम्नवत् है-

आरोप सं0-1 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-1 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड परिसर में उपलब्ध आवास कई वर्षों से पूर्ववर्ती प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा लगातार आवासन नहीं करने के कारण एवं लगातार साफ-सफाई नहीं करने के कारण एवं अत्याधिक पूरा होने के कारण बहुत पहले से ही उजड़ा सा जीर्णशीर्ण हालत में था, जहां जंगल-झाड़ी उग गया था, दीवारों में छेद, दरार तथा छत फट गई थी, पानी चूता रहता था। वे जहां भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहे हैं, वहां उन्होंने प्रखंड परिसर में ही खूँटा गाड़ कर रहने का काम करते रहे हैं। प्रखंड परिसर में ही रहने से मैं अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार एवं तत्पर रहता हूँ। जनता से बराबर मिलने एवं उनका सुख-दुख सुनने व समाधान करने का अवसर मिलता है। इसलिए उन्होंने उक्त आवास के आवासन करने के उद्देश्य से उपायुक्त से बराबर अनुरोध किया कि उक्त आवास की मरम्मत करायी जाय, ताकि वे वहां रह सकें। इसी अनुरोध के कारण इस आवास की मरम्मत का काम जिला परिषद् के अभियंता को दिया गया। इस आवास के अनुपलब्ध रहने के बावजूद उन्होंने अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया कि प्रखंड कार्यालय के एक-डेढ़ किलोमीटर दूर चैपा मोड़ के पास मुकेश कुमार यादव, पिता-स्व0 वचनदेव महथा के निजी आवास में भाड़े पर रहने चले गये। इस प्रकार उनके ऊपर यह आरोप अनुचित है कि उन्होंने प्रखंड परिसर या प्रखंड परिधि में आवास नहीं किया। जहां तक कुछ विशेष दिनों में विशेष परिस्थितियों में प्रखंड परिसर में नहीं पाये जाने का प्रश्न है, उसके संबंध में कहना है कि वे Exceptional cases में हैं, जो मात्र नियमों के अपवाद ही हैं।

जहां तक दिनांक 30.05.2010 को मुख्यालय में नहीं रहने का आरोप है, इस संबंध में कहना है कि वह रविवार का अवकाश था और वे अपने मित्र एवं रिश्तेदार से मिलने देवघर नगर में ही थे, जो प्रखंड मुख्यालय से मात्र दस-बारह किलोमीटर दूर हैं एवं प्रखंड सीमा से मात्र डेढ़ किलोमीटर दूर हैं। इस आरोप के संबंध में वे अपने पत्रांक-309 दि0 11.02.2012 में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उन्हें जब खोजने के संबंध में सूचना मिली तब वे शाम में उपायुक्त महोदय से उनके गोपनीय कार्यालय में मिले। बाद में वे निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, श्री डी0सी0 मिश्रा से भी उनके आवास में मिले। उपायुक्त महोदय उनके देवघर में उपस्थित रहने के संबंध में उनकी बातों से संतुष्ट थे। बाद में पिछली तिथि से पत्र निकाल कर इसे आरोप में शामिल किया गया।

रविवार को अपने मित्रों एवं परिवार से मिलने के बगल में जाना अपराध नहीं है। साथ ही मैं मोबाईल से हमेशा प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से जुड़ा रहता हूँ। इसके बावजूद मुझे मुख्यालय से बाहर

रहना बताया गया है, जो कि एकदम गलत है एवं मानसिक प्रताड़ना तथा तंग-व-तबाह कर देने की साजिश का ही परिणाम है।

जहां तक दिनांक 08.09.2010 को प्रखंड कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं रहने की बात है, इस संबंध में उपायुक्त महोदय के स्पष्टीकरण का जवाब अपने कार्यालय के पत्रांक-809 दि० 23.09.2010 के द्वारा दे चुका हूँ, जिसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं उस दिन योजनाओं की Technical sanction के लिए अधीक्षण अभियंता, श्री राजेश कुमार सिंह के आवास कार्यालय में गया था। सहायक अभियंता, श्री मणिकान्त सिंहा भी मेरे साथ थे।

योजनाओं के अभिलेख पर Technical sanction प्राप्त करके जल्द-से-जल्द प्रशासनिक स्वीकृति के लिए डी०आर०डी०ए० में भेजने का आदेश डी०सी०/डी०डी०सी० का ही था, जिसका अनुपालन मैंने किया। तब मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि असंतुष्ट होने का कोई पत्र या पूरक स्पष्टीकरण या सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता से डी०सी०/डी०डी०सी० के द्वारा मेरे स्पष्टीकरण की जांच के लिये पूछताछ नहीं की गई थी, इस प्रकार मेरा स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया गया। परंतु बाद में जब उनसे उपायुक्त किसी कारणवश नाराज हो गये, तब वे इसे आरोप में डाल दिये, जो मात्र Personal Vendetta को ही दर्शाता है।

सरकारी वाहन चालक श्री विश्वास कुमार यादव उर्फ श्रीकान्त यादव ने लिखित रूप से यह कहा था कि वे आवास मरम्मत के पहले चैपा ग्राम में स्व० वचनदेव महथा के आवास में तथा बाद में प्रखंड मुख्यालय स्थित आवास में रहते थे। उन्होंने कोई भी विराधाभासी बयान नहीं दिया। उनका बयान जो श्री कुमार के पत्रांक-309 दिनांक 11.02.2012 द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित किया गया है। श्री अमर कुमार साह, कनीय अभियंता, साहेब पोखर, बरमसिया ने अपने आवास में उनके नहीं रहने के संबंध में शपथ पत्र दिया गया है। वर्तमान मोहनपुर प्रखंड पंचायत समिति की प्रमुख श्रीमती प्रतिमा देवी एवं जिला परिषद् सदस्य श्री भुतनाथ यादव ने भी अपने बयान में उनके आवासन संबंधी दावा को सत्यापित किये हैं।

मोहनपुर प्रखंड के प्रबुद्ध नागरिकगण सर्वश्री रंजीत यादव (प्रमुखपति), ग्राम-डुमरिया, श्री चन्द्रशेखर यादव, ग्राम-सिंह रायडीह, श्री दीनदयाल यादव, ग्राम-सिंह रायडीह, श्री मुकेश कुमार, ग्राम-चैपा, श्री मो० अख्तर अंसारी, मुखिया, ग्राम पंचायत-घौंघा, श्री बबलु दास, ग्राम-मोहनपुर हाट, श्री नवीन देव यादव, ग्राम-डुमरिया, श्री राजकिशोर गुप्ता, निवासी कोर्ट रोड, संतसंग के पास, देवघर, श्री श्रीकान्त यादव, ग्राम-तिलैया मंझियाना ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से उनके प्रखंड मुख्यालय में आवासन के संबंध में अपना बयान दिया है कि वे मुख्यालय में ही आवासन करता था।

उनके डायरी में जिला के वरीय पदाधिकारियों के प्रखंड भ्रमण से संबंधित कुछ तथ्य अंकित है, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा मेरे आवासन के संबंध में भी जांच की गई थी, जो निम्न प्रकार है-

दिनांक 16.06.2010 को उपायुक्त महोदय प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किये थे एवं बाद में

हरकट्टा या मेदिनीडीह में योजना के निरीक्षण में भी गये थे। इस समय इन्होंने मेरे आवासन के संबंध में भी जांच किये थे और संतुष्ट थे।

दिनांक 28.04.2010 को उप विकास आयुक्त द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी आवास का निरीक्षण किया गया था एवं संबंधित जिला परिषद् के कनीय अभियंता श्री दीपक जी से तुरंत आवास लिखित रूप में Handover करने का निदेश दिये थे एवं छोटा-मोटा कार्य मुझे खुद से करा लेने का निदेश दिये थे।

पुनः दिनांक 15.05.2010 को हाट में शेड निर्माण के निरीक्षण के लिए दि० 23.08.2010 को प्रखंड परिसर में SGSY के तहत उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्य को जांचने, दि० 02.09.2010 को मलहारा में नरेगा योजना एवं पंचायत भवन के निर्माण के निरीक्षण के क्रम में दि० 04.10.2010 को प्रखंड मुख्यालय में मनरेगा से जुड़े तमाम कर्मचारियों/पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने के क्रम में मेरे प्रखंड परिसर स्थित आवास में भी जांचने या Refreshment के लिये आये थे।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रखंड परिसर स्थित आवासों के संबंध में स्वीकृत्यादेश आदेश सं०-30/2010, ज्ञापांक-184/वि० दि० 19.01.2010 एवं जिला अभियंता, जिला परिषद्, देवघर का स्टाफ क्वार्टर मरम्मत के उपरान्त सौंपने के संबंध में पत्रांक-112/जि०अ० दि० 21.05.2010 अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

इसके अलावे वरीय पदाधिकारी श्री राम नारायण राम, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी एवं श्री यतीन्द्र प्रसाद, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता कई बार प्रखंड परिसर स्थित आवास में आये थे। श्री यतीन्द्र प्रसाद प्रखंड के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे एवं हमेशा दिशा-निर्देश देते रहते थे। जैसे- जनगणना का कार्य हो या पारा शिक्षकों का चयन या योजना का निरीक्षण या बी०पी०एल० हेतु ग्रामसभा आयोजन का कार्य इन सब अवसरों पर वे अक्सर प्रखंड मुख्यालय आते थे एवं मेरे आवासन के संबंध में उन्हें पूरी जानकारी थी। इन दोनों पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व में मोहनपुर प्रखंड ने उत्तरोत्तर विकास किया।

मैंने संचालन पदाधिकारी को इन पदाधिकारियों से पूछताछ करने का अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं मानी। संचालन पदाधिकारी ने इस आरोप में मेरे द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया है, जो Judicial mind एवं Fair Trial की Policy के विपरीत है एवं एक I.A.S. DC द्वारा लगाये गये आरोप Invoiable एवं Sancto sanctorum इसी मानसिकता का परिचायक है। इस संबंध में सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता से संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाही ली जा सकती थी। मेरे द्वारा अनुरोध करने पर भी गवाही नहीं ली गई, जो Fair Trial के सिद्धांत के विपरीत है।

समीक्षा- प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री कुमार का प्रखंड परिसर स्थित आवास के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण प्रखंड मुख्यालय में आवासन नहीं करने का तर्क स्वीकारयोग्य है, किन्तु प्रखंड परिसर स्थित आवास की मरम्मत के उपरान्त भी उनका प्रखंड मुख्यालय में आवासन नहीं रखना मान्य नहीं है।

श्री कुमार द्वारा मोहनपुर प्रखंड पंचायत समिति की प्रमुख श्रीमती प्रतिमा देवी एवं जिला परिषद् सदस्य श्री भूतनाथ यादव द्वारा दिये गये बयान को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। उक्त बयान के अनुसार श्री कुमार अप्रैल, 2010 से प्रखंड परिसर स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्वार्टर में रहने लगे, किन्तु जिला योजना पदाधिकारी, मोहनपुर के पत्रांक-01/कैम्प दि० 30.05.2010 के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी एक निजी आवास में रहते हैं, जिसके मकान मालिक श्री अमर प्रसाद साह, कनीय अभियंता, करमाटांड (जामताड़ा) हैं। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भौतिक सत्यापन के समय श्री साह स्वयं उपस्थित थे। यदि श्री कुमार उनके आवास में नहीं रहते तो उसी समय श्री साह द्वारा श्री कुमार के उनके आवास में आवासन नहीं करने संबंधी तथ्य जिला योजना पदाधिकारी के समक्ष रखा जाता। इसके अतिरिक्त वाहन चालक श्री विश्वास कुमार यादव द्वारा भी बयान दिया गया कि उन्होंने दि० 29.05.2010 को लगभग 7.30 बजे शाम में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवास में पहुँचकर गाड़ी उनके आवास के सामने लगा दिया और चाभी उन्हें सौंप दी। अतः श्री अमर कुमार साह द्वारा दिया गया शपथ पत्र एवं श्री कुमार द्वारा साक्ष्य के रूप में जीप चालक विश्वास कुमार यादव का संलग्न बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। जिला अभियंता, जिला परिषद्, देवघर द्वारा अपने पत्रांक-112/जि०अ० दि० 21.05.2010 द्वारा उप विकास आयुक्त, देवघर से प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास मरम्मत का कार्य पूर्ण होने की सूचना देते हुए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपयोग में लाने हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक-648/स्था० दि० 09.09.2010 द्वारा उपायुक्त, देवघर को प्रेषित प्रतिवेदन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रखंड परिसर स्थित आवास की मरम्मत के उपरान्त भी श्री कुमार उक्त आवास में निवास नहीं करते थे। श्री कुमार का कथन की दि० 08.09.2010 को वे योजनाओं के Technical Sanction के लिए अधीक्षण अभियंता श्री राजेश कुमार सिंह के आवास कार्यालय में गये थे, साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं है। आरोप सं०-2 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-2 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्था में सहयोग देने के लिये वे प्रखंड मुख्यालय में बराबर उपस्थित थे। मेरा आवास प्रखंड मुख्यालय के एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित चैपा ग्राम में किराये के भवन में था। मैंने होली के पूर्व शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। होली के दिन प्रशासन एवं जनता के बीच समरसता एवं सदभाव स्थापित करने के लिए मैंने होली मिलन समारोह का आयोजन प्रखंड परिसर में किया था, जिसमें प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता जैसे- श्री बबलू दास, स्व० सुशील झा (अब स्वर्गीय), मो० अख्तर, श्री रंजीत यादव, श्री नवीन देव, श्री भूतनाथ यादव, श्री चन्द्रशेखर यादव, श्री मुकेश कुमार, श्री दीनदयाल यादव, श्री राजकिशोर गुप्ता, श्री श्रीकान्त यादव जैसे अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए थे।

विभागीय जांच पदाधिकारी को मैंने कहा कि Fair and Judicious Trial के लिये इन लोगों का अपने कार्यालय में बुलाया जा सकता है, परन्तु संचालन पदाधिकारी ने इसे मानने से इंकार कर दिया। मैं सर्वश्री रंजीत यादव (प्रमुखपति), ग्राम-डुमरिया, श्री चन्द्रशेखर यादव, ग्राम-सिंह रायडीह, श्री दीनदयाल यादव, ग्राम-सिंह रायडीह, श्री मुकेश कुमार, ग्राम-चैपा, श्री मो० अख्तर अंसारी, मुखिया, ग्राम पंचायत घोंघा, श्री बबलु दास, ग्राम-मोहनपुर हाट, श्री नवीन देव यादव, ग्राम-डुमरिया, श्री राजकिशोर गुप्ता, निवासी कोर्ट रोड, सत्संग के पास, देवघर, श्री श्रीकान्त यादव, ग्राम-तिलैया मंझियाना का बयान संलग्न कर रहा हूँ कि मैं होली के दिन प्रखंड मुख्यालय में इन लोगों के साथ होली मिलन समारोह में उपस्थित था ।

जहां तक मेरे द्वारा थाना में सन्हा दर्ज कराने का आरोप है, उस संबंध में कहना है कि पूर्व में किसी Gazetted Officer के द्वारा विधि-व्यवस्था संबंधी योगदान में सन्हा दर्ज करने का न तो प्रावधान है और न ही परम्परा। अगर ऐसी कोई नियम/परिनियम राज्य/जिला प्रशासन का है तो प्रपत्र में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए, पर वैसे भी सन्हा दर्ज करने का काम थाना प्रभारी का है, मेरा नहीं ।

जहां तक अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के दि० 01.03.2010 होली के दिन 9.10 बजे रात में मोहनपुर थाना का भ्रमण का संबंध है, उस संबंध में कहना है कि उनसे मोबाईल पर सूचना पाने के बाद मैं प्रखंड मुख्यालय अपनी निजी वाहन से तुरंत वापस लौट गया था

मैंने कालाजार की समुचित एवं गहन ईलाज के लिए डी०सी० को पत्र लिखा था कि होली के बाद मुझे बेहतर ईलाज के लिए भागलपुर जाने दिया जाय। चिकित्सक के द्वारा ईलाज करने के बावजूद ठीक नहीं होने पर और कालाजार का Symptom होने के कारण मुझे जांच हेतु राँची या भागलपुर जाने का सलाह दिये। मैंने अपनी बीमारी के बारे में उपायुक्त महोदय से मुलाकात किया था तथा उन्होंने निदेश दिया था कि होली समाप्त होने के बाद शीघ्र निकल जाना एवं दि० 03.03.2010 को लौटकर मुख्यालय आ जाना। होली के दिन प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहने की बात भ्रामक है एवं सन्हा दर्ज नहीं करने की बात मनगढ़ंत है। मुझे प्रताड़ित करने के लिये ही ऐसी भ्रामक शगूफे बनाये गये हैं ।

मोहनपुर प्रखंड के बुद्धिजीवियों के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं होली के अवसर पर मुख्यालय में ही था। मैं एक Gazetted Officer हूँ एवं विकास के साथ-साथ विधि-व्यवस्था के संबंध में अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने अपनी सेवा के कार्यकाल में आज तक विधि-व्यवस्था से भाग कर काम नहीं किया है। पर्व-त्योहारों के साथ-साथ माननीय एम०एल०ए०/एम०पी० स्थानीय निकायों/त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी मैंने बढ़-चढ़ कर काम किया है एवं आज तक मेरे ऊपर विधि-व्यवस्था में सहयोग नहीं करने का आरोप नहीं लगा है । समीक्षा- जब श्री कुमार दि० 01.03.2010 को मुख्यालय में उपस्थित थे तो उपायुक्त, देवघर द्वारा होली, 2010 का खैरियत प्रतिवेदन गोपनीय शाखा में समर्पित करने संबंधी निदेश की अवहेलना क्यों

की गई? इसके अतिरिक्त जब उनके द्वारा उपायुक्त, देवघर को तबियत खराब होने की सूचना दी गई तो उन्हें आधे घंटे के अंदर उपायुक्त के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निदेश दिया गया, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वे मुख्यालय में नहीं थे। इस बिन्दु पर उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। श्री कुमार द्वारा अवकाश के संबंध में अपने पत्रांक-02/2 मु० दि० 21.02.2010 की प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न की गई है, किन्तु संबंधित पत्र उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में कब प्राप्त कराया गया, इस संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा अवकाश हेतु कोई भी लिखित आवेदन साक्ष्य स्वरूप नहीं दिया गया है। श्री कुमार के बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थिति के आरोप की पुष्टि होती है। उपायुक्त, देवघर से अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है। आरोप सं०-3 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-3 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि डी०आर०डी०ए० के द्वारा दिये गये इंदिरा आवास योजना की 183 इकाई की प्रशासनिक स्वीकृति के पत्र को उन्होंने नोटिस बोर्ड में लगवाया ताकि आम जनता से शिकायत एवं सहमति प्राप्त किया जा सके। इन स्वीकृत लाभुकों का बी०पी०एल० नं० एवं स्कोर तो सही होता है, परन्तु उनके आर्थिक स्थिति एवं पूर्व में उनके Forefather के IAY की UNIT मिली थी कि नहीं यह जांच का विषय रह जाता है। इसलिए एकरारनामा के पहले इन परिस्थितियों को दुबारा जांच करना आवश्यक होता है, ताकि I.A.Y. योग्यतम यानी Poorest of the poors and most needy सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता पूरी करते हैं, को ही मिल सके।

इसके बाद Sortlisted लोगों का राष्ट्रीयकृत बैंको में Saving account खोलवाने की प्रक्रिया प्रखंड द्वारा ही किया जाता है। खाता खोलवाने के लिए लाभुकों के पास EPIC या Voter card कभी नहीं होता है, तब कभी इसका Spelling गलत होता है। इन त्रुटियों के निवारण में एवं Bank को संतुष्ट करने में समय लगता है। बैंकों को खाता खोलने हेतु फोटो एवं Address proof से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में तथा गरीब के पास नहीं पाया जाता है। साथ ही लाभुकों का फोटो भी खिंचवाया जाता है। इनका Account No हासिल होने के बाद तब Crossed Cheque के द्वारा या Advice बनाकर राशि का अंतरण किये जाने की प्रक्रिया है।

इस बीच श्रावणी मेला प्रारंभ हो गया जो कि मोहनपुर प्रखंड के गरीब-अमीर लोगों का कमाई का जरिया है, क्योंकि झारखण्ड का पूरा कांवरिया पथ मोहनपुर प्रखंड में ही अवस्थित है। मोहनपुर प्रखंड की पूरी आबादी श्रावणी मेला में धार्मिक या आर्थिक कारण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है।

साथ ही प्रखंड का एक-एक कर्मी/पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, पंचायत सेवक से लेकर अनुसेवक तक श्रावणी मेला में सरकारी प्रतिनियुक्ति पर काम करते हैं। Supervisors, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता इत्यादि को प्रशासन द्वारा विधि-व्यवस्था के काम पर लगा दिये जाते हैं। ऐसी हालत में न तो खाता खोलवाने का काम हो पाता है न ही I.Y.A. लाभुक समय दे पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में लाभुक को खाता खोलवाने एवं अभिलेख संधारण में विलम्ब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उन्हीं के आदेश से लोग प्रतिनियुक्ति पर पूरे एक महीने तक श्रावणी मेला में सेवा करते हैं। यही बात सिद्ध-कान्हू आवास में 200 UNITS के बदले 191 अभिलेख खोलने पर लागू होता है।

साथ ही यह भी कहना है कि डी०आर०डी०ए० से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सूची की जांच में कुछ ऐसे लाभुक निकल जाते हैं, जिनके परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में लाभ मिला है या अर्हता नहीं रखता है, तब उनके स्थान पर नये लाभुकों का नाम भेजने की प्रक्रिया में समय लग जाता है। सिद्ध-कान्हू आवास योजना में 200 इकाई में मात्र 9 इकाई का अभिलेख नहीं खुला था। इन लाभुकों के परिवार को पूर्व में आवास की सुविधा मिल चुकी थी। कुछ लाभुक बाहर गये हुए थे, इस कारण से उनका चेक नजारत में रखा हुआ था। श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद सभी अभिलेखीय कार्य पूर्ण कर लिये गये।

यह सारा काम प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला प्रशासन के द्वारा दिये गये Guidelines के अनुपालन में ही किया जाता है, ताकि Transparency बना रहे। ज्यादा Needy परिवार को इंदिरा आवास योजना/सिद्ध-कान्हू आवास योजना का लाभ मिल सके। किसी भी हालत में किसी भी आयोग्य श्रेणी के परिवार को लाभ नहीं मिल सके। इस प्रक्रिया में यदि श्रावणी मेला के कारण विलम्ब होता है, तब उसे समझा जा सकता एवं माफ किया जा सकता है। बाकी काम को यथाशीघ्र समाप्त करने का निदेश दिया जा सकता है एवं माफ किया जा सकता है, वही काम के यथाशीघ्र समाप्त करने का आदेश दिया जा सकता है। परन्तु इस संबंध में मुझसे कभी भी स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया। मात्र डी०डी०सी० एवं Executive Magistrate की निरीक्षण टिप्पणियों का ही हवाला प्रपत्र-क में साक्ष्य के रूप में दिया गया है।

यदि डी०सी०/डी०डी०सी० के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाता तब स्पष्ट हो जाता कि इस प्रकार के Practical problem से देवघर जिला के सभी प्रखंड ग्रसित थे एवं श्रावणी मेला के कारण सभी प्रखंड में 100 लाभुकों का एक साथ अभिलेख खालने का एवं बैंक खाता खोलने का काम नहीं किया गया था। विभागीय जांच पदाधिकारी ने इस आरोप को आंशिक तौर पर सही माना है। यानी इस आरोप की पुष्टि पूर्णरूपेण नहीं होती है। यानी Benefit of Doubt का मामला मेरे पक्ष में जाता है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मुझे इस आरोप से मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाय।

जहां तक मनरेगा योजनाओं के लम्बित रहने का मामला है, उस संबंध में कहना है कि मोहनपुर किसान बाहुल प्रखंड है। देवघर शहर नजदीक होने के कारण लोग दिहाड़ी मजदूरी करने शहर चले

जाते हैं। साथ ही कुछ अकुशल मजदूर ई०एम०यू० से दिहाड़ी कमाने आसनसोल या बंगाल के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं। दिहाड़ी ज्यादा मिलती है एवं मनरेगा में मिट्टी काटने का या कूप खोदने से कम श्रम लगता है, इसलिए Registered Job Card Holder मजदूर होने के बावजूद वही लोग मिट्टी काटने का काम करते हैं, जिसके खेत में कूप बन रहा हो या जिनके जमीन में तालाब बन रहा हो। इसके अलावे कुछ परम्परागत मिट्टी काटने वाले जाति विशेष के लोग हैं, जैसे- भुईयाँ या पुजहर ही मिट्टी काटते हैं। बाकी लोग दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए पश्चिम बंगाल चले जाते हैं जहां दिहाड़ी 200-250 रु० प्रतिदिन मिल जाती है, वह भी शाम में तथा रोज-रोज। मनरेगा के तहत इन्हें मजदूरी 15 दिनों के बाद ही मिलती है, वह भी एक चैका मिट्टी काटने के बाद महज 110-120 रु०, इसलिए योजनाएं लम्बित रह जाती हैं। योजना लम्बित रहने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि रजिस्टर्ड जॉब कार्डधारी के संख्या से भी ज्यादा यानि Entitlement से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण में 20 प्रतिशत से ज्यादा जॉब कार्डधारी मिट्टी काटने का काम नहीं करते हैं ।

मेरे द्वारा पंचायत, रोजगार सेवकों, मेठों, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, सुपरवाइजर एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पर सख्ती बरतने तथा उच्चाधिकारियों को निलम्बन/चयन मुक्ति की धमकी के बाद अधिकांश योजनाएं पूर्ण हो गईं। कभी-कभी एम०आई०एस० इन्ट्री में बाधा होने के कारण पूर्ण योजना मनरेगा वेबसाइट पर नहीं आ पाती है। इस संबंध में मेरे द्वारा लिखे गये पत्र/आदेश संलग्न किया जा रहा है ।

इसलिए इस संबंध में मेरे द्वारा शिथिलता बरतने का आरोप निराधार है। मैंने अपने स्तर पर हर संभव तरीके से अपूर्ण योजनाओं को, जो मेरे कार्यकाल से पहले से लम्बित थी, को पूर्ण कराया। प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय में मनरेगा से संबंधित सभी पदाधिकारी/कर्मचारी, अभियंता की बैठक आयोजित होती थी, जिसमें जिला से वरीय पदाधिकारी तथा कभी-कभी डी०डी०सी० भी आते थे। इस प्रकार मेरे द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण में कोई कोताही नहीं बरती गई है। इस प्रकार मेरे ऊपर लगाये आरोप निराधार हैं ।

संचालन पदाधिकारी ने भी अपने निष्कर्ष में कहा है कि उच्चाधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि Subordinates को बहुत लम्बे समय तक अन्य (श्रावणी मेला) में प्रतिनियुक्त नहीं करें, ताकि कार्य बाधित नहीं हो। साथ ही उन्होंने मेरे स्पष्टीकरण को आंशिक तौर पर स्वीकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ कर्मियों के एक-डेढ़ माह तक श्रावणी मेला में लगाने से ही इंदिरा आवास योजना, सिद्ध-कान्हू आवास योजना में विलम्ब हुआ है। मेरा स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार्य है। यानि मुझे Benefit of doubt का लाभ मिलता है। यानि आरोप Beyond on all sheds of doubt प्रमाणित नहीं होता है। अतः मुझे इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

समीक्षा- श्री कुमार द्वारा इंदिरा आवास योजना, सिद्ध-कान्हू आवास योजना एवं मनरेगा योजनाओं के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है, किन्तु दि० 21.08.2009 को प्रखंड निरीक्षण के क्रम

में रोकड़ बही का दि० 17.07.2009 तक ही संधारण होने के संबंध में उनके द्वारा कोई तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। लगभग एक माह से रोकड़ बही का संधारण नहीं होना झारखण्ड कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-86 का उल्लंघन है। अतः श्री कुमार का स्पष्टीकरण पूर्णतया स्वीकारयोग्य नहीं है। आरोप सं०-4 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-4 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड कार्यालय मोहनपुर से योजना सं०-03/2007-08 के योजना पंजी की छायाप्रति उपलब्ध करायी गई है। पहरीडीह ग्राम नयाचितकाठ पंचायत के अंतर्गत आता है। योजना सं०-03/2007-08 ग्राम-नयाचितकाठ में तालाब निर्माण की योजना है, जिसकी स्वीकृति एवं कार्य मेरे समय से पहले कराया गया है। स्पष्ट है कि उक्त मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना प्रखंड या पंचायत के द्वारा संचालित नहीं था। श्री मिथिलेश झा द्वारा आरोप लगाने के पूर्व अभिलेखीय जांच नहीं की गई है एवं Mental excersise नहीं किया गया है। मनरेगा में कई एजेंसी कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ विशेष प्रमंडल, जिला परिषद्, वन विभाग की एजेंसियाँ एवं एन०जी०ओ०। अतः आरोप लगाने के पूर्व श्री मिथिलेश झा के द्वारा योजना से संबंधित अभिलेख की जांच नहीं की गई है। वर्ष 2007-08 में जिला द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसनीडीह मोड़ से पहरीडीह ग्राम तक की योजना प्रखंड या पंचायत द्वारा संचालित नहीं थी। वैसे भी सितम्बर के माह में जब सामान्यतः मिट्टी कटाई के कार्यों पर रोक लगी रहती है, तब मिट्टी काटने वाले मजदूरों को योजना स्थल पर खोजना हास्यास्पद ही है एवं यह आरोप भावनात्मक है न कि तथ्यात्मक।

योजना सं०-46/2007-08 कोई योजना है ही नहीं। ग्राम-पहरीडीह में एक मात्र सिंचाई कूप हेमा तांती, पिता-भुखल तांती के जमीन पर है, जिसकी योजना सं०-09/2007-08 है, जिसकी प्राक्कलित राशि 60 हजार न हो 65 हजार अंकित है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नरेगा योजनाओं का प्राक्कलन ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा बनाया जाता रहा है, जिसे मानका प्राक्कलन कहा जाता है। यह मानक प्राक्कलन बढ़ते हुए श्रम एवं सामग्री दर के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा Revise किया जाता है। कूप निर्माण योजना भी मानक प्राक्कलन पर आधारित है। जो इसके निर्माण काल के समय 30.09.2008 से जुलाई, 2009 तक कार्यान्वित कराया गया है, जो उस समय के मानक प्राक्कलन ₹0 1,20,000/- के अनुसार है।

इस संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक-728/जि० गा० वि० अभि०, देवघर दि० 07.05.2008 में वर्ष 2007-08 में स्वीकृत सिंचाई कूप की योजनाओं का प्राक्कलन बढ़ाकर 80 हजार ₹० निर्धारित किया गया था एवं श्रम तथा सामग्री का अनुपात 60:40 रखने का आदेश तत्कालीन उपायुक्त, देवघर के द्वारा दिया गया है। कुछ कूप इस दौरान अधूरा रह गया, जिसे पूर्ण कराने का निदेश देते हुए दि० 06.06.2009 को उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के ज्ञापांक-1342/देवघर दि० 01.07.2009 के द्वारा तत्कालीन उपायुक्त, देवघर के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। उक्त दोनों आदेशों के अनुसार ही कूप निर्माण योजना, पहरीडीह पूर्ण कराया गया, जिस पर पूर्ण लागत 1,01,650/- ₹० आया।

अतः श्री मिथिलेश झा द्वारा लगाया गया आरोप मजाक प्रतीत होता है। श्री झा समन्वय समिति की बैठकों में निश्चित रूप से शामिल होते थे तथा उपायुक्त स्तर पर लिये गये निर्णयों से उन्हें वाकिफ

होना चाहिए था एवं आरोप लगाने से पूर्व तथ्यों की पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। इस तरह के आरोप लोगों के कैरियर को बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश ही है।

मैंने संचालन पदाधिकारी से स्पष्ट कहा कि नरेगा के अंतर्गत देवघर जिला के लंबित हजारों योजनाओं में एक योजना का भी दोबारा प्राक्कलन तैयार करवाकर उसकी स्वीकृति नहीं ली गई, अपितु बढ़े हुए सामग्री मूल्य एवं बढ़े हुए न्यूनतम मजदूरी दर, जो नरेगा में लागू होता है, के अनुसार भुगतान करने का आदेश तत्कालीन उपायुक्तों द्वारा दी गई थी।

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान अपराध है। मैंने संचालन पदाधिकारी से यह भी कहा कि मेरे द्वारा किसी भी कूप में 1,14,677/- ₹0 भुगतान का आदेश नहीं दिया गया, किन्तु वह नहीं मानी एवं न ही इस संबंध में प्रस्तोता पदाधिकारी से संबंधित अभिलेख की मांग की गई। अतः इस प्रकार मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है एवं मेरे द्वारा नियमानुकूल ही भुगतान किया गया है। अतः इस आरोप से मुझे मुक्त करने की कृपा की जाय।

समीक्षा- योजना सं०-03/2007-08 किसनीडीह मोड़ से पहरीडीह ग्राम तक मिट्टी मोरम पथ की योजना बंद पाये जाने के संबंध में श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष बयान दिया गया कि चूँकि उक्त पथ पर मिट्टी कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए कार्य बंद था, किन्तु द्वितीय कारण पृच्छा में उनका कथन कि उक्त योजना प्रखंड या पंचायत के द्वारा संचालित ही नहीं थी, विरोधाभासी है। पंचायत-झारखण्डी, ग्राम-पहरीडीह में योजना सं०-46/2007-08 (संजय यादव के खेत में सिंचाई कूप निर्माण) में प्राक्कलित राशि 60,000/- ₹० के विरुद्ध अंतिम मापी 1,14,677/- ₹० होने एवं प्राक्कलित राशि बढ़ने का योजना अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं करने संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के संदर्भ में उनका कथन कि नरेगा योजनाओं का प्राक्कलन ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा बनाया जाता रहा है एवं मानक प्राक्कलन बढ़ते हुए श्रम एवं सामग्री दर के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा Revise किया जाता है एवं कूप का निर्माण 30.09.2008 से जुलाई, 2009 तक कार्यान्वित कराया गया है, जो उस समय के मानक प्राक्कलन 1,20,000/- ₹० के अनुसार है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यदि किसी योजना की प्राक्कलित राशि में पुनरीक्षण की आवश्यकता होती है तो पुनरीक्षण प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो श्री कुमार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। प्राक्कलन के पुनरीक्षण के लिए नियमानुकूल कार्रवाई नहीं कर प्राक्कलित राशि से अधिक का भुगतान कर उनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है।

आरोप सं०-5 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-5 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत अवधि 11.01.2010 से 16.01.2010 तक काफी शीतलहर चल रही थी एवं पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक/पर्यवेक्षकों को बी०पी०एल० सूची के सत्यापन/ संशोधन का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा था।

अतः सृजित मास्टर रौल कार्यालय में जमा नहीं हो सका। फिर भी झालर पंचायत में 4, रंढिया पंचायत में 4, नया चितकाठ में 15 मास्टर रौल का सृजन हुआ था। भूमि सुधार उप समाहर्ता के अनुसार उक्त पंचायतों में केवल श्रम मद में ₹ 6,69,503/- व्यय हुआ है। अगर सामग्री मद को जोड़ा जाय एवं जो एडभाईस नहीं जमा किया गया, उसे जोड़ा जाय तो एक सप्ताह का खर्च 10 लाख ₹ से ज्यादा है। किसी भी आलोचक द्वारा एक सप्ताह में 10 लाख ₹ खर्च करने को अच्छा ही कहा जायेगा। यह किस प्रकार नरेगा मार्गदर्शिका के किस धारा का उल्लंघन है। यह समझ से परे है। संचालन पदाधिकारी ने इन चीजों को समझने का प्रयास ही नहीं किया एवं आरोप को बिना न्यायिक रूप से समीक्षा किये जस का तस अपने रिपोर्ट में उतार दिया। समीक्षा- इस आरोप में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। आरोप सं0-6 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-6 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि सभी दस योजनाएँ उनके कार्यकाल के पहले की थी। इन योजनाओं को मजदूरों की कमी एवं खिजुरिया पंचायत के शहरीकरण हो जाने एवं नगर निगम क्षेत्र का अंश बन जाने के कारण भी मैंने अपने कार्यकाल में युद्ध स्तर पर विशेष अभिरुचि लेकर पूर्ण कराया। इस संबंध में मेरा कहना है कि इन योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु मैंने विशेष दिशा-निर्देश दिया तथा गोपनीय से निर्गत पत्र का जवाब भी दिया।

योजना सं०-49/2007-08 मेरे कार्यकाल के पहले ही तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा चालू की गई थी, आगे कार्य संभव नहीं होने के कारण ये योजना बंद कर दी गई। योजना सं०-52/2007-08 ग्राम-बलसारा में सिंचाई कूप निर्माण दि० 03.03.2010 को आखरी भुगतान कर पूर्ण करा दिया गया। जहाँ तक बिचौलिये का काम करने का प्रश्न है, इस बारे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, वरना मेरे द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाती। योजना सं०-33/2007-08 मेरे कार्यकाल के पहले की है, जिसे कूप में पत्थर निकल जाने के कारण बंद करा दिया गया। योजना सं०-32/2007-08 कैरबांक में घनश्याम यादव के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण में पत्थर निकल जाने के कारण बंद कर दिया गया। योजना सं०-19/2007-08 ग्राम-भलवाबांधी में सिंचाई कूप निर्माण दि० 30.06.2010 को पूर्ण करा लिया गया। योजना सं०-20/2007-08 ग्राम-कैरबांक में सिंचाई कूप निर्माण दि० 30.06.2010 को पूर्ण करा लिया गया। योजना सं०-52/2007-08 ग्राम-बलसारा में सिंचाई कूप निर्माण से संबंधित है, जो पूर्ण करा लिया गया है। योजना सं०-7/2007-08 खिजुरिया में सिंचाई कूप निर्माण से संबंधित है, जो माह जून, 2007 में पूर्ण करा लिया गया है। योजना सं०-22/2007-08 मेरे पूर्ववर्ती प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ही कार्य संभव नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया। जहाँ तक कुआँ में मोहन पांसी की बकरी गिरने का सवाल है, तो इसके लिये प्रखंड विकास पदाधिकारी को दोषी ठहराना कहीं से भी उचित नहीं है। योजना सं०-42/2007-08 खिजुरिया में सिंचाई कूप निर्माण माह अप्रैल, 2007 में ही पूर्ण करा लिया गया ।

उपर्युक्त सभी योजनाएं मेरे कार्यकाल के पूर्व की हैं, जिसे मैंने तत्परता से पूर्ण कराया है। मार्च, 2010 में इन योजनाओं पर वरीय पदाधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद युद्ध स्तर पर सभी योजनाओं को माह जून, 2010 की समाप्ति के पूर्व ही पूर्ण करा दी गई एवं जहाँ काम संभव नहीं था, जैसे- कुआँ में पत्थर निकल आना वैसी योजनाओं को बंद करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद कर दी गई।

किसी भी योजनाओं में बिचौलिये सक्रिय नहीं थे। सभी योजनाओं को रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के दल को सक्रिय कर तथा पंचायत में कैम्प कर पूर्ण कराया गया। यदि वास्तव में बिचौलिया सक्रिय होता तो तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, जो उस समय प्रखंड के वरीय पदाधिकारी भी थे, अवश्य कानूनी कार्रवाई का निदेश देते। उपायुक्त के द्वारा भी मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इस संबंध में फिर कोई पत्राचार मुझ से नहीं किया गया। बाद में मुझे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इसे प्रपत्र-‘क’ में शामिल कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि मुझे इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

समीक्षा- समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि जाँच के पश्चात् त्वरित गति से योजनाओं को पूर्ण कराया गया है, किन्तु जाँच की तिथि तक योजनाएँ लंबित थीं। पुरानी कार्यान्वित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराना आरोपी पदाधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व था। किन्तु उपायुक्त, देवघर के ज्ञापांक-346/गो० दि० 02.03.2010 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का कोई उत्तर समर्पित न करना अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का परिचायक है। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उत्तर दिया गया है कि उपायुक्त के द्वारा भी उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया गया, किन्तु साक्ष्य के अभाव में उनका कथन स्वीकार योग्य नहीं है। आरोप सं०-7 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-7 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत तुम्बावेल में वर्ष 2007-08 में इन्टर्लैटलमेंट से अधिक 55 योजनाओं को स्वीकृत किया गया। वर्ष 2008-09 में कोई योजना नहीं ली गई एवं वर्ष 2009-10 में आठ योजना ली गई थी। इस प्रकार कुल 63 योजना इस पंचायत को आवंटित किया गया था। तुम्बावेल पंचायत में रजिस्टर्ड मजदूर की संख्या 800 के लगभग है, जिसमें मात्र 150 से 200 श्रमिक ही हैं, जो मिट्टी काटने का कार्य करते हैं। इस प्रकार इन्टर्लैटलमेंट के हिसाब से एक वर्ष में अधिक से अधिक 15-20 योजनाएं ही काफी थीं। इसी कारण से 44 योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ कराया गया। निरीक्षण अवधि तक 26 योजनाओं को मेरे द्वारा पूर्ण करा लिया गया था, 18 योजनाओं में कार्य चल रहा था, 9 योजनाओं में कार्य बंद था, जिसमें 3 वैसी सिंचाई कूप की योजनाएं हैं, जिसमें पत्थर निकल गया था, जिसके कारण कार्य कराना असंभव था। इस प्रकार कुल 6 योजनाओं पर ही कार्य बंद था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी योजनाओं पर मजदूरों को लगाने से अच्छा कुछ योजनाओं पर मजदूरों को लगाना है, इससे योजना जल्द पूर्ण होती है। वरीय पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में पूर्व के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम

पदाधिकारी को समान रूप से दोषी ठहराया है तथा अधोहस्ताक्षरी के बारे में टिप्पणी किये हैं कि वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने योजनाओं को पूर्ण कराया है। फिर भी मुझे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में सार्थक पहल नहीं करने का आरोप लगाया है। वरीय पदाधिकारी ने इस पंचायत की कुछ योजनाओं को निरस्त करने का प्रस्ताव जिला में देने का निर्देश दिये थे, जिसमें प्रखंड के पत्रांक-230 दि० 4 जुलाई, 2010 के द्वारा 154 योजनाओं का प्रस्ताव जिला को भेजा गया था, जिसमें तुम्बावेल पंचायत की 7 योजनाएं सम्मिलित थी। संचालन पदाधिकारी ने मेरे स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, यानि मुझे Benefit of doubt का लाभ मिलता है। अतः मुझे इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

समीक्षा- वित्तीय वर्ष 2007-08 की वैसी योजनाएँ, जिन पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका था, उन्हें रद्द करने का प्रस्ताव श्री कुमार को जिला में भेजना चाहिए था, क्योंकि पुराने प्राक्कलन पर वित्तीय वर्ष 2009-10 में काम कराना संभव नहीं था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा योजनाओं की गहन समीक्षा नहीं की जाती थी। आरोप सं०-8 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-8 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा बार-बार अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षक/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी/पंचायत सेवक/राजगार सेवक/मेटों को बारबार स्मार दिया था कि मनरेगा योजनाओं का संचालन मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार कराना सुनिश्चित किया जाय। मेरे द्वारा समय-समय पर साप्ताहिक बैठकों में एवं लिखित रूप से भी मनरेगा योजना के अधिनियम एवं झारखण्ड सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार काम करने के लिये समय-समय पर दिशा-निर्देश दिया हूँ।

मनरेगा योजनाओं में मास्टर रौल का सृजन कार्य करने के उपरान्त कनीय अभियंता के द्वारा किये गये कार्य की मापी एवं तदनुसार सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा जांच के उपरान्त मानव दिवस निर्धारित होता है तथा मास्टर रौल का सृजन होता है। मास्टर रौल में तभी गड़बड़ी किया जा सकता है, जब मापी में अभियंताओं के द्वारा गड़बड़ी किया गया हो। इस पंचायत की सभी योजनाओं में मापी एवं सक्षम अभियंता के जांच के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। किसी भी योजना में बिना मापी किये केवल मास्टर रौल की प्रविष्टि पर भुगतान नहीं किया गया है। सभी श्रमिकों का भुगतान खाता के माध्यम से 15 दिनों से कम की अवधि में किया गया है। मास्टर रौल का संधारण मेट, रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक के द्वारा किया गया है। कनीय अभियंता एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के जांच के बाद ही भुगतान किया गया है। कहीं भी मनरेगा अधिनियम एवं मार्गदर्शिका का उल्लंघन नहीं किया गया है। मनरेगा में योजनाओं के अनुश्रवण के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान है, जो प्रतिवर्ष मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। घोंघा पंचायत में भी सामाजिक अंकेक्षण का काम किया गया था, जिसमें कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई थी।

जिला द्वारा तथाकथित स्व० पंकज तिवारी के टीम के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराया गया था। इसमें सभी राजनीतिक कार्यकर्ता एवं दुकानदार ही थे। बाद में स्व० पंकज तिवारी के बारे में समाचार आया कि वो दिल्ली में आत्महत्या कर लिये। बाद में पुनः एक बार फिर भूमि सुधार उप समाहर्ता, श्री यतीन्द्र प्रसाद एवं प्रो० रामनन्दन सिंह, सेवानिवृत्त रीडर एवं कम्युनिष्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के द्वारा 08 योजनाओं का जांच किया गया। इस संबंध में आरोप लगाया गया कि मेरे द्वारा योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया है तथा न ही योजनाओं के भुगतान के समय मास्टर रोल का सत्यापन किया गया। यह आरोप बिल्कुल ही निराधार है। मेरे द्वारा मनरेगा योजनाओं एवं मास्टर रोल के भौतिक सत्यापन के संबंध में पत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये थे।

सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर उपायुक्त के द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में मैंने मोहनपुर थाना कांड सं०-338/10 दर्ज कराया गया, जिसमें कुल 09 व्यक्ति नामजद अभियुक्त हैं एवं जेल भी जा चुके हैं। उपायुक्त महोदय के ज्ञापांक-1554/गो० दि० 17.09.2010 के द्वारा मुझसे सामाजिक अंकेक्षण के उपरान्त समर्पित प्रतिवेदन पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। मैंने प्रखंड कार्यालय, मोहनपुर के पत्रांक-810 दि० 23.09.2010 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपायुक्त, देवघर को प्रेषित किया था।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के पत्रांक-1902 दि० 14.08.2010 के द्वारा जिम्मेदार एवं दोषी कर्मियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा संबंधित कनीय अभियंता से कारण पृच्छा करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजने का निदेश प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त मैं मोहनपुर थाना कांड सं०-338/2010 दर्ज कराया एवं प्रखंड कार्यालय के ज्ञापांक-805/वि० दि० 22.09.2010 के द्वारा सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंताओं एवं रोजगार सेवकों से पायी गई अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मेरे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को उपायुक्त ने अस्वीकार नहीं किया और न ही पूरक स्पष्टीकरण पूछा। जिससे आभास होता है कि उन्होंने मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया था। यहां पर मैं इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूँ कि किसी भी योजना में एक छटाक भी कम मिट्टी नहीं काटा गया है। जितना भुगतान हुआ है, उतना काम सरजमी पर मौजूद है। सभी 08 योजना पूर्ण हैं एवं मनरेगा के सभी उद्देश्यों को पूरा करता है। इससे रोजगार का सृजन हुआ है तथा ग्रामीण इलाके में परिसम्पत्ति का सृजन हुआ है। योजना में खर्च की गई राशि से पांच पैसा से भी कम का काम नहीं हुआ है। अतः लगाये गये गंभीर आरोपों की बात कौन कहे, मेरे द्वारा पर्यवेक्षण में भी कमी नहीं की गई है। स्व० पंकज तिवारी और उनकी टीम तत्कालीन उपायुक्त, देवघर का चेहरा पसंद नहीं आने वाले अधीनस्थ पदाधिकारियों के कैरियर और इज्जत तबाह करने का एक तंत्र था। स्व० तिवारी की अपनी मानसिकता ही उनके लिए जानलेवा साबित हुई।

संचालन पदाधिकारी को इन सब तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से मैंने समझाने का प्रयास किया। मैंने उन्हें कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन में शीर्ष के पदाधिकारी तभी दोषी हो सकते हैं, जब नीचे के एवं मध्यवर्ती पदाधिकारियों का भी दोष हो। यह कैसे संभव है कि जहां कनीय अभियंता, पर्यवेक्षक, सहायक अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी निर्दोष हो एवं सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी हो? यह Unthinkable है। सोशल ऑडिट के जांच रिपोर्ट में कहीं भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। सारे आरोप भावनात्मक नहीं, किन्तु विभागीय जांच पदाधिकारी ने मेरे एक

न सुनी।

समीक्षा- जिला स्तरीय दो सदस्यीय समिति द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के आलोक में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1902 दि० 14.08.2010 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दोषी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया। श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक-788/वि० दि० 17.09.2010 द्वारा योजनाओं से संबंधित पंचायत सेवक, मेट, डाकपाल एवं बिचौलियों के विरुद्ध मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी गई है, जिसमें फर्जी मास्टर रौल का संधारण, मजदूरी का नगद भुगतान, योजनाओं में फर्जी निकासी एवं बिचौलियों द्वारा डाकपाल की मिलीभगत से मजदूरी की निकासी का आरोप लगाया गया है। इससे स्पष्ट है कि मनरेगा की योजनाओं में व्यापक अनियमितता बरती गई। इस कृत्य हेतु पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, मेट, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ-साथ नरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते श्री कुमार भी समान रूप से जिम्मेवार हैं, क्योंकि उक्त योजनाओं में भुगतान उनके स्तर से किया गया। श्री कुमार द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न अधिकांश पत्र मुख्य निर्गत पंजी से निर्गत किये गये हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे पत्र बाद में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के बाद बैंक डेट से निर्गत किये गये हैं।

आरोप सं०-9 पर श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा बचाव बयान- आरोप संख्या-9 के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा निम्न प्रकार है- क. मैंने किस परिवार को इंदिरा आवास इकाई आवंटित किया है, जो सम्पन्न है या जिसका बी०पी०एल० नम्बर नहीं है या स्कोर 15 से ज्यादा है, इसका साक्ष्य या नाम नहीं दिया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से इंदिरा आवास के लाभुकों का प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र है, जिसमें लाभुकवार

एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/अल्पसंख्यक/विकलांग/बी०पी०एल० नं० और स्कोर अंकित है, जो डी०आर०डी०ए० द्वारा उपलब्ध बी०पी०एल० बुक एवं प्रतिका सूची से मिलान कर बनाया गया है। समीक्षा- श्री कुमार का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1767 दि० 07.10.2010 के अनुसार-

(i) दहीजोर पंचायत अंतर्गत डुमरिया मौजा में ठाकुर महतो के लड़के खुबलाल यादव जैप में सिपाही के पद पर कार्यरत है, परन्तु इनके नाम से एक इकाई इंदिरा आवास की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009-

10 में दी गई है एवं इन्हें मो० 34,000/- रु० का भुगतान भी कर दिया गया है, जो पूर्णतः इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका का उल्लंघन है। चितरंजन यादव, वो मुरारी यादव, पिता-स्व० फल्गुनी महतो के पास एक-एक जोड़ा बैल, दोनों व्यक्तियों के बीच एक पम्पिंग सेट तथा स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग पांच-पांच एकड़ से भी अधिक जमीन है, परंतु इन लोगों का चयन लाभुक के रूप में किया गया है तथा इन्हें मो० 34,000/- रु० का भुगतान किया गया है।

(ii) अनिता देवी, पिता-महेश यादव, ग्राम-बाबुपुर, पंचायत बलथर को वर्ष 2010-11 चेक मिल गया है, लेकिन वो इंदिरा आवास पाने योग्य नहीं है। इनका मकान काफी सुंदर है और रहने लायक है, फिर भी उन्हें इंदिरा आवास दिया गया। लाभुक के पति ने बयान दिया कि पंचायत सेवक ने बोला है कि चेक भजने पर पैसा देना होगा।

(iii) भुटकु यादव, पिता-स्व० नकेल यादव, ग्राम-बाबुपुर, पंचायत बलथर को चेक अभी नहीं मिला है। बिचौलिया नसीम अंसारी, ग्राम-रोपनी से दस हजार रु० में बात तय हुआ है, जिसमें तीन हजार रु० अग्रिम दिये हैं। सात हजार रु० बाकी है। यह बात ग्रामीण एवं लाभुक की मां का कहना है, जबकि लाभुक का घर चाहरदिवारी सहित काफी सुसज्जित है। किसी भी तरह से वो इंदिरा आवास पाने की पात्रता नहीं रखता है। Guide Line का उल्लंघन करते हुए बिचौलिया के माध्यम से चयन किया गया है।

ख. किस योजना में किस लाभुक से किस पंचायत सेवक एवं बिचौलिया से अवैध राशि की वसूली की है। इसका प्रमाण नहीं दिया गया है। सोशल ऑडिट में जो मामला प्रकाश में आया है, तब मैंने एफ०आई०आर० सं०-338/10 दर्ज किया है। किसी भी एस०सी०/ एस०टी० लाभुक के शोषण का आरोप नहीं बनता है। यदि उच्चाधिकारियों को ऐसी कोई जानकारी है, तब वैसे कर्मचारियों पर एस०सी०/ एस०टी० अत्याचार का मामला आज भी दर्ज किया जा सकता है।

समीक्षा- श्री कुमार का कथन मान्य नहीं है, क्योंकि उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1767/गो० दि० 07.10.2010 के अनुसार विभिन्न जांच पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में विभिन्न पंचायत के लाभुकों द्वारा बिचौलियों द्वारा अवैध राशि वसूलने की शिकायत की गई, तब उन्हें प्रखंड स्तर से चेक निर्गत किया गया। उदाहरणस्वरूप -

(i) भुटकु यादव, पिता-स्व० नकेल यादव, ग्राम-बाबुपुर, पंचायत बलथर को जांच की तिथि तक चेक नहीं दिया गया था। बिचौलिया नसीम अंसारी, ग्राम- रोपनी द्वारा दस हजार रु० की मांग की गई, जिसमें तीन हजार रु० अग्रिम दिया गया।

(ii) जलेश्वर राउत, पिता-स्व० मल्लू राउत से बिचौलिया नसीम अंसारी द्वारा इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर तीन हजार रु० लिया गया।

(iii) चोपाय बास्की, पिता-बड़का बास्की, ग्राम- बुढ़वाकुरा, पंचायत-जमुनिया से बिचौलिया विकास मरांडी, पिता-स्व० अर्जुन मरांडी द्वारा पांच हजार रु० लिया गया, तब उन्हें चेक दिया गया।

(iv) चन्नीलाल हेम्ब्रम, पिता-भारे हेम्ब्रम, ग्राम-बुढ़वाकुरा, पंचायत-जमुनिया से बिचौलिया विकास मरांडी द्वारा पांच हजार रु० की राशि ली गई।

(v) साधु राय, पिता-स्व० गोदो राय, ग्राम पंचायत- जमुनिया द्वारा बिचौलिया जयनारायण यादव, पिता-झलकु महतो को पांच हजार रु० की राशि दी गई, तब उन्हें चेक निर्गत किया गया।

(vi) पोताल मुर्मू, पिता-सुखीलाल मुर्मू, ग्राम-नागपुर, पंचायत-जमुनिया से बिचौलिया जयनारायण यादव द्वारा छः हजार रु० की नाजायज राशि ली गई ।

(vii) पंचायत-झारखंडी, ग्राम-झारखंडी के पुतीलाल मुर्मू, सोनालाल मुर्मू, रामेश्वर मरांडी एवं खिरो राय से बिचौलिया नरेश यादव द्वारा क्रमशः 10500/-, 9,500, 9,500 एवं 7,500/- रु० की अवैध वसूली की गई ।

श्री कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मनरेगा योजना के बिचौलियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है न कि इंदिरा आवास योजना के बिचौलियों के विरुद्ध ।

ग. किस प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यकाल में पूर्व से निर्मित इंदिरा आवास को नवनिर्माण दिखा कर सम्पूर्ण राशि का गबन कर लिया गया है। उसका नाम एवं सूची संबंधित कोई साक्ष्य प्रपत्र-‘क’ में नहीं दिया गया है, न ही किसी निरीक्षी पदाधिकारी ने ऐसा प्रतिवेदन दिया है, न ही किसी ग्रामीण ने ऐसी कोई शिकायत की है, न ही ऐसा कोई अभिलेख की संख्या एवं छायाप्रति का साक्ष्य दिया गया है। यह आरोप भ्रामक है ।

समीक्षा- श्री कुमार का कथन असत्य है, क्योंकि प्रपत्र-‘क’ के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1767/गो० दि० 07.10.2010 में उल्लेखित है कि मोहन पुजहर, पिता-नेगर पुजहर, ग्राम-बरमसिया, पंचायत-हरकट्टा को कई वर्ष पूर्व एक इंदिरा आवास दिया गया था, जिसे बहुत पहले पूर्ण कर लिया था। पुनः 2009-10 में उन्हें दोबारा इंदिरा आवास स्वीकृत किया गया एवं बिना इंदिरा आवास निर्माण किये इंदिरा आवास की पूरी राशि की निकासी कर ली गई ।

घ. यह आरोप मृत व्यक्तियों के नाम से आवास स्वीकृत कराकर राशि गबन करने का प्रयास से संबंधित है, जबकि लाभुक की मृत्यु चार-पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस आरोप के स्पष्टीकरण में कहना है कि इसकी पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रपत्र-‘क’ में नहीं है। यह आरोप प्रयास से संबंधित है। किस मृत लाभुक की इंदिरा आवास की स्वीकृति करायी गई है, उसका नाम सूची अभिलेख संख्या इत्यादि का कोई साक्ष्य नहीं है ।

समीक्षा- श्री कुमार का कथन अमान्य है, क्योंकि प्रपत्र-‘क’ के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-1767/गो० दि० 07.10.2010 के अनुसार श्रुति पुजहर, पिता-कोदो पुजहर, ग्राम-नागपुर, पंचायत-जमुनिया की मृत्यु चार-पांच वर्ष पूर्व में ही हो चुकी थी, किन्तु उनके नाम से वर्ष 2009-10 में इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई (योजना सं०-207/2009-10) एवं दि० 31.12.2009 को चेक सं०-914347 द्वारा 17,500/- रु० का चेका निर्गत किया गया। स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति के नाम से सर्वप्रथम इंदिरा आवास की स्वीकृति हेतु जिला से अनुशंसा की गई एवं बाद में राशि निर्गत की गई ।

उपायुक्त, देवघर द्वारा निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघरय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघरय भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर; जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर; जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर; जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर; सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर द्वारा विभिन्न पंचायतों में इंदिरा

आवास योजना की करायी गई जांच में सभी पंचायतों में व्यापक पैमाने पर बिचौलिया की भूमिका एवं उनके द्वारा लाभुकों से अवैध राशि की वसूली प्रमाणित हुई है। उक्त कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की संलिप्तता के बगैर संभव नहीं है।

अतः आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का बिन्दुवार समीक्षोपरांत श्री ललन कुमार, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) WP.(S)-6123/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री ललन कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-9452 दिनांक 25.09.2013 द्वारा निर्गत दण्डादेश रद्द किया जाता है।

(ii) श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi)के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री ललन कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LALAN KUMAR JHK/JAS/174	श्री ललन कुमार, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi)के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
